

## राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

फोन नः 0141-2228066, फैक्स नः 0141-2228065

ई-मेल: rmisc.supply2@gmail.com

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website: www.rmisc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.04( )/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/2022 979 दिनांक : 17/6/2022

### कार्यालय आदेश

M/s Terrace Pharmaceuticals Pvt. Ltd, F-67, Phase VII, Industrial area S.A.S, Nagar Mohali को औषधियों की निविदा क्रमांक F.02(304)/RMSC/PROCUREMENT/DRUG/NIB-27/2020/1847 दिनांक 14.10.2020 के तहत औषधि Amoxycillin Cap IP 500mg (code no. 72) के क्रयादेश क्रमांक 4450 दिनांक 03.03.2022 के द्वारा 6677300 मात्रा एवं क्रयादेश क्रमांक 3415 दिनांक 16.12.2021 के द्वारा 6062000 मात्रा 60 दिवस में आपूर्ति किये जाने हेतु जारी किये गये थे।

फर्म द्वारा निर्धारित समय में उक्त औषधि के जारी क्रयादेशों के विरुद्ध आपूर्ति नहीं करने पर पत्रांक 335 दिनांक 09.05.2022 द्वारा नोटिस जारी किया गया। प्रकरण को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 31.05.2022 के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिए अवसर प्रदान किया गया जिसमें फर्म की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। अनुशासनात्मक समिति ने विचार-विमर्श कर पाया कि उक्त फर्म को नियमित रूप से दो क्रयादेश जारी किए जाने के उपरान्त भी औषधि की कोई मात्रा आपूर्ति नहीं की गई है, जो राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम से हुए अनुबन्ध का उल्लंघन है।

अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 31.05.2022 (प्राप्ति पत्र दिनांक 10.06.2022) की अनुशंसा के आधार पर निविदा शर्त संख्या 13(15) के अनुसार निर्माता फर्म M/s Terrace Pharmaceuticals Pvt. Ltd, F-67, Phase VII, Industrial area S.A.S, Nagar Mohali को औषधि Amoxycillin Cap IP 500mg (code no. 72) हेतु यह आदेश जारी करने की दिनांक से एक वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। निगम द्वारा जारी पूर्व क्रयादेशों की आपूर्ति पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(अनुपमा जोरवाल)

आई.ए.एस.

प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : एफ.04( )/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/2022 979

दिनांक : 17/6/22

- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
01. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
  02. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
  03. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पंजाब।
  04. मिशन निदेशक, एनएचएम जयपुर।
  05. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, जयपुर।
  06. निदेशक PH/RCH/HA/AIDS/MSH/IEC चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
  07. Drug Controller General (India) New Delhi
  08. औषधि नियंत्रक राजस्थान/पंजाब।
  09. कार्यकारी निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण/प्रोक्योरमेंट/वित्त/लॉजिस्टिक्स), आरएमएससीएल जयपुर।
  10. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), आरएमएससीएल।
  11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, राजस्थान जयपुर।
  12. M/s Terrace Pharmaceuticals Pvt. Ltd, F-67, Phase VII, Industrial area S.A.S. Nagar Mohali
  13. गार्ड फाईल।

29  
विशेषाधिकारी  
आर.एम.एस.सी.

14  
(सहायक निदेशक)  
आरएमएससीएल  
जयपुर